

सं० सं०-२/नियुक्ति-०४/१६-

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में माह मई एवं जून २०१६ में विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारियों (बेसिक ग्रेड) एवं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन किया गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अभी भी कई चिकित्सा पदाधिकारियों ने पदस्थापित स्थान पर अपना योगदान नहीं दिया है, जबकि अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख था कि उन्हें अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर पदस्थापित स्थानों में योगदान देना है।

इस आदेश के माध्यम से सभी नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों, जिन्होंने अभी तक प्रभार ग्रहण नहीं किया है, को सूचित किया जाता है कि अगर वे दिनांक-१०.०८.२०१६ तक पदस्थापित स्थान पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना रद्द करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-


(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- १०६२(२)

पटना, दिनांक- २२-७-२०१६

प्रतिलिपि- महानिरीक्षक, कारा विभाग, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी निदेशक, सभी चिकित्सा संस्थान, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव